लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2361
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्रों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना

2361. डॉ. भोला सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई और बड़े पैमाने के विनिर्माताओं द्वारा श्रेणीबद्ध लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अब तक कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ग) कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत के वस्त्र निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा के लिए तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट पहल की गई है; और

(ङ) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर इन पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख) : सरकार वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम करने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, कंपनियों को न्यूनतम निवेश और कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पीएलआई योजना के तहत चयनित 74 आवेदकों में से 24 एमएसएमई के हैं।

(ग) : सरकार भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना; मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए रेशम समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, सरकार शून्य दर निर्यात के सिद्धांत अपनाकर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के

आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय, भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की क्षमता को प्रदर्शित करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों को दर्शाने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए फरवरी 2025 में एक वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट अर्थात, भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों को भी सहायता दे रहा है।

(घ) और (ङ): वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 1480 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) का मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, उभरते स्टार्टअप, जनशक्ति को कौशल प्रदान करने और तकनीकी वस्त्रों के बाजार विकास पर फोकस है। स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा उत्पादों में कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें इन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के बाद तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, वस्त्र हेतु पीएलआई योजना में भी चिकित्सा स्वच्छता और रक्षा वस्त्रों सहित तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है।

*****